اگست ۲۰۰۹ء

ماہنامہ شعاع عمل لکھنؤ

قَالَ اللّٰہُ تبارک وتعالیٰ قَدْ جَاءَ کُمْ مِنَ اللّٰہِ نُوْرٌ وَ کِتَابٌ مُبِیْنٌ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب

اللہ اکبر





موسسۂ نور ہدایت، حسینیہ غفرانمآبؒ، چوک، لکھنؤ۔۳

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postel Regd.No. SSP/LW/NP-75/2008-10
P.O. Chowk, Dispatch Date: 2 & 6 of Every Month

SHUA-E-AMAL
Lucknow

शुआ-ए-अमल
हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका लखनऊ

August 2009





NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION
Imambara Ghufran Maab, Chowk, Lucknow-3 (U.P.) INDIA, Phone : 2252230

वर्ष-6

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postal Regd No-SSP/LW/NP-75/2008-10
P.O. Chowk. Dispatch Date: 2 & 6 of every month

अंक 2

अगस्त - 2009

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन की
हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

शुआ-ए-अमल
"लखनऊ"

संरक्षक

मौलाना सै. कल्बे जवाद नक़वी साहब

सम्पादक

सै. मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी 'असीफ़' जायसी

वार्षिक - 200 रु

मिलने का पता

क़ीमत - 20 रु

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

इमामबाड़ा हज़रत गुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड
चौक लखनऊ - 3 (उ.प्र.) भारत। फोन न० 0522-2252230

सै. कल्बे जवाद नक़वी प्रिन्टर, पब्लिशर और प्रोपराइटर ने मासिक शुआ-ए-अमल (उर्दू, हिन्दी) निज़ामी आफ़सेट प्रेस विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ से छपवाकर आफ़िस नूर-ए-हिदायत फ़ाउण्डेशन इमामबाड़ा गुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड लखनऊ-3 से प्रकाशित किया। सम्पादक : सै० मुस्तफा हुसैन नक़वी 'असीफ जाएसी'।

R.N.I. No.
UPBIL/2004/13526

Postal Regd. No.
SSP/LW/NP-75/2008-10

WEBSITE:
www.noorehidayat.com
www.al-ijtihaad.com

E_mail:
noorehidayat@yahoo.com
noorehidayat@gmail.com

ज़रे सालाना

1- यूरोप, अमरीका, कनाडाः
80 अमरीकी डालर
2- ख़लीजी मुमालिकः
60 अमरीकी डालर
3- एशिया, पाकिस्तानः
40 अमरीकी डालर
4- पाकिस्तान ज़मीनी डाकः
20 अमरीकी डालर

लाइफ़ मेम्बरशिपः 4000/-

फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

अगस्त-2009ई०

शाबानुल मुअज़्ज़म - रमज़ानुल मुबारक 1430हि०

हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा स० ने फ़रमायाः

ख़ुदा की ख़ुशी और दीन की समझ हासिल करने के लिए क़ुरआन पढ़ने वालों को सभी फ़रिश्तों, नबियों और रसूलों के बराबर सवाब मिलता है।

रोज़े के फ़ायदे

आयतुल्लाह अल्लामा सै० मुहम्मद रज़ी साहब क़िब्ला
अनुवादकः तज़हीब नगरौरी

सूर-ए-बक़रा आयत 183 में अल्लाह ने फ़रमाया है किः-

"ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किये गये हैं जिस तरह उन लोगों पर फ़र्ज़ किये गये थे जो तुमसे पहले गुज़रे हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ ये गिनती के कुछ दिन हैं।"

अल्लाह के इस फ़रमान से ये बात ज़ाहिर हो गई कि रोज़े फ़र्ज़ किये जाने का असल मक़सद यही है कि लोगों के दिलों में अल्लाह का ख़ौफ़ पैदा हो और वह अमल के एतेबार से सच्चे मुसलमान बन जाएं और परहेज़गार हो जाएं इस बुनियाद पर वह रोज़ा हक़ीक़ी माने में रोज़ा नहीं हो सकता जिसके रखने वाले में परहेज़गारी की ख़ूबी न पैदा हो सके। इसी बात की तरफ़ एक हदीस में सरवरे कायनात[स०] ने इरशाद फ़रमाया है जिसका मतलब ये है कि ***"अगर कोई शख़्स रोज़ा रख कर भी गुनाहों को न छोड़े तो फिर अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है कि वह शख़्स अपना खाना-पीना छोड़ दे"*** और कभी आपने इस तरह फ़रमाया जिसका तर्जुमा ये है कि "कितने ही ऐसे रोज़ेदार हैं जिन्हें भूखा-प्यासा रहने के सिवाए कुछ भी हासिल नहीं होता" इसका नतीजा साफ़ तौर पर यही निकलता है कि 'सौम' यानी रोज़ा सिर्फ़ भूखे और प्यासे ही रहने का नाम नहीं हो सकता और इन तमाम शर्तों का निचोड़ यही है कि रोज़ा रखने वाला उन सभी बातों से अपने आपको बचाए रखे जो परहेज़गारी से दूर करने वाली हैं और जिस्म को उन सभी बुराईयों से बचाए जिनसे शरीअत ने रोका है। रोज़े में जहाँ और बहुत से फ़ायदे हैं और जिस्म की सैकड़ों बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इससे आपस की मुहब्बत और आपसी हमदर्दी के जज़्बे में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और अगर ये जज़्बा बिल्कुल ही न हो तो इसको पैदा कर देता है। और इस तरह मुसलमानों की एकजुट ज़िन्दगी में एक नई रूह पैदा हो जाती है। हम इस बात को इस तरह आसानी से समझ सकते हैं कि जब तक कोई शख़्स ख़ुद किसी मुसीबत और तकलीफ़ में न फंसे उस वक़्त तक उसे दूसरों की तकलीफ़ का सही तरह एहसास नहीं होता। इसलिए जब कोई रोज़ा रखता है और उसे दिन भर भूखा और प्यासा रहना पड़ता है और वह उस वक़्त ज़िन्दगी के बहुत से मज़ों से भी महरूम हो जाता है तो उसका नतीजा ये होगा कि उसके दिल में ग़रीब, परेशान और भूखे लोगों का भी ख़याल आ जायेगा जिन पर कई-कई दिन गुज़र जाते हैं मगर उन्हें खाने की कोई चीज़ नहीं मिल पाती। इस रोज़ेदार के दिमाग़ में उन बेचारों और बेसहारा लोगों की तकलीफ़ समझ में आयेगी और उनसे हमदर्दी का एहसास पैदा होगा। इस तरह अमीर और ग़रीब, बड़े और छोटे सब में आपसी मुहब्बत व एकता पैदा होगी और आपसी मदद की तरफ़ इस्लामी समाज का हर शख़्स झुकेगा। इसी बात की तरफ़ हुज़ूर सल-लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने अपने मशहूर ख़ुतबे में इरशाद फ़रमाया था कि जो शख़्स

अपने एक मोमिन भाई का रोज़ा इफ़्तार कराये उसे एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलता है। अगरचे वह इफ़्तार ख़जूर के आधे दाने ही पर या पानी के एक घूँट ही पर क्यों न हो।

ये हुक्म इसलिए दिया गया था कि मुसलमानों में इज्तेमाअी रूह उभरे और आपसी मदद और हमदर्दी का शौक़ पैदा हो क्योंकि कोई एक हो या पूरी क़ौम किसी को भी आपसी मदद के बिना कामयाबी नहीं मिल सकती।

रोज़ा और रूहानियत

हर मुसलमान इस हक़ीक़त को जानता है कि रोज़ा इस्लामी अरकान में से एक अहम रुक्न है। और ये वह इबादत है जो दुनिया के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आख़िरी रसूल हज़रत ख़ातमुल अम्बिया[स०] तक हर पैग़म्बर के ज़रिये से उनकी उम्मत को बतायी गयी और इस उम्मत पर फ़र्ज़ की गयी। हज़रत आदम[अ०] के ज़माने तक हर महीने के तीन रोज़े फ़र्ज़ भी थे यानी 13, 14, और 15 के। इन ही तीन दिनों को ''अय्यामे बीज़'' यानी ''नूर के दिन'' कहा जाता है। फिर हज़रत नूह[अ०] के बाद जो-जो शरीअतें आती रहीं उनमें दिनों और ज़माने के कुछ बदलाव के साथ रोज़े का हुक्म बाक़ी रहा।

सरवरे कायनात[स०] की उम्मत को जो ख़ैरुलउमम क़रार दी गयी है रमज़ान के महीने के रोज़ों का हुक्म शाबान 2 हिजरी में मिला था। अब हमें इस बात पर भी ग़ौर करना चाहिए कि ''रोज़ा'' कहते किसे हैं और सही मानों में रोज़ेदार कौन हो सकता है?

क्या सिर्फ़ एक ख़ास वक़्त से एक ख़ास वक़्त तक दिन भर सिर्फ़ भूखे और प्यासे ही रहने का नाम रोज़ा है या इसके लिए कुछ ख़ास शर्तें भी हैं जिनके बिना हक़ीक़ी माने में ''रोज़ा'' नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि हमें ''रोज़े'' के कुछ अहकाम भी सिखाये गये हैं और कुछ शर्तें और ख़ूबियाँ बतायी गयी हैं जिनके बिना वह असली मक़सद हासिल नहीं हो सकता जिसके लिए ''रोज़ा'' रखा जाता है। यानी परहेज़गारी और तक़वा और जिसकी तरफ सूर-ए-बक़रा में उसी जगह पर जहाँ ''रोज़े'' के फ़र्ज़ होने का एलान किया गया है। ***''लअल्लकुम तत्तकून''*** का जुमला फ़रमाकर अल्लाह ने हमें ध्यान दिलाया है। ''तक़वा'' उस ख़ूबी का नाम है कि इन्सान उन सभी बातों से अपने आपको बचाए जिन्हें अल्लाह ने बुरा क़रार दिया है और उन बातों पर अमल करे जिनका उसको हुक्म दिया है। जैसे झूठ न बोले, चोरी न करे, रिश्वत न ले न दे, किसी पर ज़ुल्म न करे, किसी का माल ज़बरदस्ती न छीने, किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए, किसी की पीठ पीछे बुराई न करे, रिश्तों को न तोड़े, किसी का हक़ न मारे, ख़ूब माल इकटठा करके न रखे, इस्तेमाल होने वाली और दूसरी कारोबारी चीज़ों में मिलावट न करे, किसी को धोका न दे, मुँह से बुरे और गन्दे लफ़्ज़ न निकाले और इसी तरह के दूसरे इस्लामी हुक्मों पर पूरा-पूरा अमल करे वरना अगर कोई अल्लाह के अहकाम और इस्लामी अख़लाक़ से हटा तो फिर दो बातों में से एक बात ज़रूरी है या तो वह बिल्कुल रोज़ा ही बाक़ी न रहेगा या फिर सिर्फ़ दिखावे का रोज़ा होकर रह जायेगा और फ़ाक़ा यानी भूख प्यास के अलावा उसको कुछ भी हासिल न होगा।

''रोज़े'' का सबसे बड़ा मक़सद दिल की पाकी और रूह का सुधार है क्योंकि इसके बिना सही और असली इस्लामी और ईमानी ज़िन्दगी को सोचा भी नहीं जा सकता है।

एक बुनियादी बात ये है कि इन्सान के दिल में गुनाह की तरफ शौक़ अक्सर दिली और इन्सानी चाहतों के ज़्यादा होने की वजह से पैदा होता है और रोज़ा वह अमल और वह इबादत है जिसकी वजह से उन इन्सानी और दिली चाहतों का ज़ोर टूट जाता है और अपने आप इन्सान अच्छे कामों की तरफ बढ़ने लगता है।

हज़रत ईसा बिन मरियम[अ०] ने अपने साथियों से

कहा था कि इन्सान के दिल की गहराई से बुराईयों का क़िला तोड़ना और उन्हें मिटाना और दूर करना सिर्फ़ दो बातों ही से मुमकिन हो सकता है एक तो नमाज़ और दूसरी रोज़ा है बिना इन दो बातों के इन्सान की रूह और उसके दिल की गहराई से बुराई की जड़ नहीं कटती शर्त ये है कि नमाज़ अपनी पूरी खूबियों के साथ एक सच्चे मुसलमान की सच्ची नमाज़ हो और रोज़ा अपनी सभी शर्तों के साथ एक सच्चे अल्लाह को एक मानने वाले का सच्चा रोज़ा हो और मोमिन के कानों में ये इलाही आवाज़ आने लगे कि ***"मेरे मोमिन बन्दे का रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिये ही है और अब उसके लिए इस रोज़ का बदला मैं ख़ुद ही हूँ या इसका बदला मैं ख़ुद ही दूँगा"***।

रोज़ा और आपसी हमदर्दी

शुरु में दी गयी आयत में रोज़े का मक़सद परहेज़गारी क़रार दिया गया है। इसलिए अगर किसी शख़्स का रोज़ा उसकी परहेज़गारी की वजह न बने तो हक़ीक़त में वह रोज़ा नहीं बल्कि सिर्फ़ फ़ाक़ा है। रोज़े में जहाँ और फ़ायदे हैं कि रोज़ा जिस्म और रूह को बहुत सी बुराइयों से दूर करता है एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा आपस की मुहब्बत और हमदर्दी के जज़्बे को बढ़ाता है और अगर ये जज़्बा नहीं पाया जाता है तो उसे पैदा कर देता है। ये सही बात है कि जब तक किसी पर कोई मुसीबत नहीं पड़ती और उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती उस वक़्त तक उसे दूसरे की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता इसलिए जब कोई रोज़ा रखता है तो उसे सुबह से शाम तक भूका और प्यासा रहना पड़ता है और वह दिन भर के लिए ज़िन्दगी के बहुत से मज़ों से भी महरूम हो जाता है। ऐसी हालत में ये ज़रूरी है कि उसके दिल में उन भूकों का भी ख़याल आ जाए जिनके पास फ़ाक़ा तोड़ने या रोज़े के इफ़्तार का भी सामान मौजूद नहीं होता और रोज़े में भूख और प्यास और खाने पीने के मज़ों से महरूम होकर वह लोग जो कभी ग़रीबों की मुसीबत को पूरी तरह नहीं समझ सकते थे अब समझने लगें, उनको समझ आ जाये, उनका एहसास जाग जाये और वह अपने ग़रीब और लाचार भाईयों की भूख और मुसीबतों का ख़याल करने लगें। इस तरह इस रोज़े की वजह से हर शख़्स के दिल में दूसरे से मुहब्बत व हमदर्दी का शौक़ पैदा हो जाता है अपने दूसरे भाइयों की तकलीफ़ों का और मुसीबतों का एहसास होने लगता है। हज़रत सरवरे कायनात स० का एक मशहूर ख़ुतबा है जिसमें आपने इरशाद फ़रमाया है कि रमज़ान बरकत, रहमत और मग़फ़िरत का महीना है इस महीने की दूसरी फ़ज़ीलतों और बरकतों को बताते हुए आपने फ़रमाया है "मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वह ख़ासकर इस महीने में ग़रीबों और बेचारों का ख़याल रखें, बड़ों का अदब करें, छोटों पर मेहरबानी करें, अपनी ज़बान को बुरी बातों से बचायें इसी तरह कानों और आँखों को भी गुनाह से बचायें, यतीमों पर रहम करें और अपने गुनाहों से तौबा करें।"

इसके बाद सरवरे कायनात ने इरशाद फ़रमायाः जो शख़्स तुम में से किसी दूसरे शख़्स का रोज़ा इफ़्तार कराता है तो ख़ुदा उसे एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब देता है। और उसके गुनाहों को माफ़ करता है। ये सुनकर अस्हाबे किराम रिज़०अ० ने रसूल स० की ख़िदमत में सवाल किया हुज़ूर! हम में तो बहुत से लोग ग़रीब हैं जो दूसरे के लिए इफ़्तारी का सामान नहीं कर सकते, तो आपने फ़रमाया ***"अगर तुम उस रोज़ेदार को खजूर का सिर्फ़ आधा हिस्सा ही दे दो या पानी का एक घूँट ही पिला दो जब भी तुम्हें यही सवाब मिलेगा"***। क्योंकि सवाब दिल की नियत और सच्चाई पर मिलता है इसलिए इफ़्तारी के सामान के कम या ज़्यादा होने पर सवाब की बुनियाद नहीं है। आप फ़रमाते हैं कि इस महीने में लोगों के साथ जो अपने अख़लाक़ को ठीक रखेगा उसके क़दम क़यामत के दिन पुलेसिरात पर से

(बक़िया...... पेज 13 पर)

इमाम हसन (अ०) फ़त्हे कर्बला की बुनियाद रखने वाले

प्रोफ़ेसर अल्लामा अली मुहम्मद नक़वी साहब क़िब्ला
अनुवादकः बिन्ते ज़हरा नक़वी ''नदल हिन्दी'' साहेबा

अल्लाह तआला ने अइम्मा को उम्मत के लिए नमूना बनाया है। इसी वजह से हर इमाम[अ०] को सियासी और समाजी माहौल अलग-अलग तरह का मिला ताकि समाज में मौजूद अलग-अलग मसअलों से मुताल्लिक़ उनका रद्देअमल सामने आये और इस तरह मुसलमानों के अमली राहनुमा बन सकें। उन्होंने मुख़ालिफ़ों के मुक़ाबले के अलग-अलग अन्दाज़ और तरीक़े अपनाये और ये दिखाया है कि मुसलमानों को चाहिए कि ज़माने के हालात के मुताबिक़ लाएह-ए-अमल इख़्तियार करें, मगर इन सबका मुत्तफ़ेक़ा मक़सद दीन की हिफ़ाज़त और इस्लाम की बरतरी हो। इमामों के मुक़ाबले की सूरतें और ढंग तो मुख़तलिफ़ थे मगर मक़सद एक था। फ़र्क़ सिर्फ़ ये था कि किसी ने हथियार वाली जंग के ज़रिये मक़सद में कामयाबी हासिल की, किसी ने सुल्ह के ज़रिये। इन तमाम पेश्वाओं में इमाम हसन[अ०] के हालात और उनकी जंग का अन्दाज़ एक मख़सूस ख़ुसूसियत का हामिल है।

इमाम हसन[अ०] मुलूकियत के मुक़ाबले में इमामत के अलमबरदार हैं

मुआविया इस्लाम के सियासी निज़ाम को ''इमामत'' से बदलकर ''मुलूकियत'' (शाही/साम्राज्य) की शक्ल में लाने के बानी और नमूना हैं। जो मुक़ाबला इमाम हसन[अ०] और मुआविया के दरमियान हुआ वह दरअस्ल इमामत और मुलूकियत का मुक़ाबला था।

''इमामत'' का आख़री मक़सद इस्लाम को रवाज देना था जबकि इसके उलट ''मुलूकियत'' का मक़सद इस्लाम के नाम पर हुकूमत पाने के लिए हर साज़िश का इस्तेमाल करना था, जबकि ''इमामत'' सख़्ती के साथ इस्लामी उसूलों की पाबन्द रही।

''मुलूकियत'' सिर्फ़ उसी हद तक इस्लाम की नाम लेवा थी और उसे मानती थी जिस हद तक इस्लाम को मानना और उसका नाम लेना अवाम को फ़रेब के जाल में फंसाने में फ़ायदेमन्द हो जबकि ''इमामत'' उसी हद तक इक़्तेदार चाहती थी जितना इस्लाम की हिफ़ाज़त के लिए फ़ायदेमन्द हो, यहाँ तक कि 'इमामत' इस्लाम की हिफ़ाज़त के लिए हुकूमत छोड़ देने तक को तैयार थी। इसका अक़ीदा ये था कि जो हुकूमत इस्लाम की ख़िदमत के काम न आये उस इक़्तेदार की कोई क़ीमत नहीं है।

'इमामत' का ध्रुव हक़ीक़त थी और उसका मेयार क़ुरआन और सुन्नत था जबकि मुलूकियत बनाम इस्लाम ज़ाती फ़ायदों के गिर्द घूम रही थी और उसका मेयार ईरान और रोम का दरबार (साम्राज्य) था। चुनानचे ''मुलूकियत'' ''मस्लेहत पसन्द'' रही और ''इमामत'' ''हक़ीक़त पसन्द'' इसी वजह से ''इमामत'' में इक़्तेदार मौरूसी नहीं होता जबकि ''मुलूकियत'' में हुकूमत मौरूसी होती है। 'इमामत वाले इस्लाम' में सियासी मराक़िज मस्जिदें होती हैं जबकि 'मुलूकियत वाले इस्लाम' में

अज़ीमुश्शान महल सियासी मराकिज़ होते हैं। इमामत वाले इस्लाम में बैतुलमाल को ख़ुदा और उम्मत की अमानत तसव्वुर किया जाता है और हुकूमती इस्लाम में ख़लीफ़ा का ज़ाती माल समझा जाता है। इमामत वाले इस्लाम में तमाम समाजी काम अवाम के मश्वरे से होता है और अवाम को इसका हक़ होता है कि जायज़ की मुवाफ़िक़त और नाजायज़ की मुख़ालेफ़त करें जबकि इसके बरअक्स मुलूकियत में अवाम की ज़बानों पर ताले लगा दिये जाते हैं, हजर बिन अदी जैसे लोग शहीद कर दिये जाते हैं, क़त्ल व ग़ारतगरी, ख़ौफ़ और दहशत, ज़ुल्म और जब्र और पाबन्दी का निज़ाम रायज होता है। इमामत में क़ाज़ी अहकामे ख़ुदावन्दी के मुताबिक़ फ़ैसला करता है और मुलूकियत में ख़लीफ़ा की ज़रूरत और मर्ज़ी के मुताबिक़ अहकामात नाफ़िज़ होते हैं।

इमाम हसन^अ० और मुआविया का मुक़ाबला इक़्तेदार के दो दावेदारों का मुक़ाबला नहीं है बल्कि ''इमामत और मुलूकियत का मुक़ाबला है, दो तर्ज़े फ़िक्र और दो राहे अमल का मुक़ाबला है। इमाम हसन^अ० जिन लोगों के मुक़ाबले पर थे, वह हक़ीक़त में मुसलमान नहीं थे बल्कि इस्लाम की नक़ाब में इस्लाम दुश्मन अनासिर थे। भेड़ की खाल में भेड़िये थे। ये वह इन्क़ेलाब मुख़ालिफ़ लोग थे जिनको मक्के के मुश्रिकों के सरदार अबुसुफ़यान ने जनम दिया था, जिनके दिल में इन्क़ेलाबे इस्लाम के ख़िलाफ़ कीने का ज्वालामुखी फूट रहा था। ये लोग अन्दर ही अन्दर धीरे-धीरे इन्क़ेलाब (इस्लाम) के ख़िलाफ़ खिचड़ी पका रहे थे। उस मौक़े पर जबकि मेयार (Quality) को मिक़दार (Quantity) पर क़ुर्बान किया जा रहा था, इमाम हसन^अ० इन इन्क़ेलाब मुख़ालिफ़ों से नबरदआज़माँ थे जो ''मुलूकियत बनाम इस्लाम'' की सूरत में नमूदार हुए थे।

इमाम हसन^अ० ने सुल्ह क्यों की?

इमाम हसन^अ० ने सुलह क्यों की? और इक़्तेदार को मुलूकियत के अलमदार और जाहिली बग़ावत के सरबराहों के हवाले क्यों कर दिया? इस सवाल के जवाब के लिए लाज़िम है कि मन्दरजाज़ेल नुकात पर नज़र रखें।

1- पहली बात ये कि चूँकि सलतनते रूम, शाम और ईरान के लोग हज़ारों की तादाद में ग़लत सियासत 'मिक़दार' की तरफ झुकाव और 'मेयार' की तरफ़ से लापरवाही की वजह से मुसलमान तो हो गये थे मगर उनके ख़यालात और फ़िक्र में किसी क़िस्म की तबदीली नहीं हुई थी। लेहाज़ा जब उन्हें मुलूकियत में अपनी पहले वाली तहज़ीब, अख़लाक़ और तर्ज़े फ़िक्र की झलकियाँ नज़र आयीं तो इमाम हसन^अ० की सरबराही के मुक़ाबले में जाहिलियत के तदरीजी इन्क़ेलाब के सरबराहों की मानने लगे। उन्हें इसी में बेहतरी और भलाई नज़र आयी।

नये मुसलमानों के क़ल्ब, ज़मीर और रगोपै में सही रूहे इस्लामी के सरायत न करने का नतीजा ये हुआ कि वह अपनी पिछली तहज़ीब, आदात और तर्ज़े फ़िक्र से मुमासेलत की बिना पर सलतनते रूम व ईरान के आदात, तहज़ीब और तर्ज़े फ़िक्र से आसानी से मानूस हो गये और उसी को अपना लिया। इस तरह मुआविया की हुकूमत के इस्तेक़रार और वरसे वाली सलतनत की बुनियाद की मज़बूती के लिए ज़मीन हमवार होती गयी। हम देखते हैं कि मुआविया का दारुस्सलतनत शाम है जहाँ के अवाम क़ैसर व किसरा के निज़ाम के आदी हो चुके थे।

पैग़म्बरे इस्लाम के बाद इस्लामी निज़ाम, जैसा कि हज़रत अली^अ० चाहते थे, रायज न हो सका। ''मेयार'', ''मिक़दार'' पर क़ुर्बान हो चुका था। हज़रत अली^अ० इस नज़रिये के हामी थे कि इस्लामी सलतनत की हुदूद और मुसलमानों की तादाद में इज़ाफ़े से ज़्यादा ज़रूरी मुसलमानों की मौजूदा तादाद में अक़ाएद व अख़लाक़ और पायदार किया जाना है। पैग़म्बरे इस्लाम^स० के बाद के इब्तेदाइ बरसों में क़ुव्वते ईमान की बिना पर इस्लाम की सियासी सरहदों में बेमिसाल बढ़ोत्तरी हुई और मुख़तलिफ़ तहज़ीब,

अक़ाएद और मिल्लत के अफ़राद हलक़-ए-इस्लाम में दाख़िल हुए, मगर उनके इस अक़ीदती और फ़िक्री इन्क़ेलाब की तरफ मुनासिब तवज्जो नहीं दी गयी जिसकी हज़रत अली[अ०] सख़्त ताकीद फ़रमाते थे। दूसरों से अमीरुलमोमिनीन[अ०] के नज़रियाती इख़्तेलाफ़ के असबाब में ये बात भी शामिल थी। हम इसे ''मेयार'' को ''मिक़दार'' पर क़ुर्बान करना कहते हैं। तारीख़ी रू में मुसलमानों की बेइन्तेहा बदनसीबी की वजह यही है।

2– दूसरी बातः जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि ''मुलूकियत'' के मुक़ाबले में जिसका हतमी मक़सद इक़्तेदार है और जहाँ इस्लाम इस मक़सद के हुसूल का एक ज़रिया के अलावा कुछ नहीं। वहीं ''इमामत'' में आला मक़सद इस्लाम है जहाँ इक़्तेदार सिर्फ़ इस्तेक़रारे इस्लाम का एक ज़रिया है, जिसके वसीले से अगर इस्लामी ख़िदमात अन्जाम न दी जा सकें तो इक़्तेदार की कोई क़ीमत बाक़ी नहीं रहती। इमाम हसन[अ०] भी अगर मुआविया ही की तरह इक़्तेदार बचाने की ख़ातिर हर काम अन्जाम देते, तो कोई शक नहीं अपने लिये ''ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन'' का ख़िताब इख़्तियार कर सकते थे। मगर जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि इक़्तेदार के तहफ़्फ़ुज़ के बजाए इक़्तेदार छोड़कर ही इस्लाम से वफ़ा की जा सकती है, वैसे ही इक़्तेदार से दस्तबरदार हो गये, क्योंकि उनका मक़सद 'इस्लाम' था, इक़्तेदार नहीं था।

3– तीसरी बातः चूँकि इमाम हसन[अ०] एक ऐसे दुश्मन के मुक़ाबले पर थे जो इस्लाम का चोला ओढ़े हुए था, इसलिए सूरते हाल इन्तिहाई पेचीदा, मुबहम और ग़ैर वाज़ेह थी, साथ ही जाहिलियत की ऐसी तदरीजी बग़ावत से सामना था जिसके चेहरे पर इस्लाम की नक़ाब थी। इन हालात में उस से मुसल्लह जंग से किसी फ़ायदे की तवक़्क़ो न थी, इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि नया अन्दाज़ अपनाया जाये क्योंकि वह चाहते थे, ''क़ुरैश के जाहिलों'' के मकरूह चेहरे पर जो नक़ली इस्लाम की हसीन और दिलफ़रेब नक़ाब पड़ी हुई है, उसे तार-तार कर दिया जाए। इसके अलावा इमाम हसनअ० महसूस कर रहे थे कि एक चीज़ ऐसी थी जो मुआविया से भी बढ़कर ख़तरनाक थी और वह थी ''तहज़ीबे मुआविया'' या ''मुलूकियत'' चुनानचे ऐसे इक़दाम की ज़रूरत थी जिससे ''आमेज़िश'' का ख़ातमा हो जाए और इस्लाम और उसूले इस्लाम और सीरते सलातीन से बिल्कुल अलग हो जायें।

इस दौर के हालात और मेयार (यानी जौहरे इस्लाम) के मिक़दार (यानी मुसलमानों की तादाद) पर क़ुर्बान हो जाने के सबब से ''तहज़ीबे मुआविया'' की वुसअत के लिए ज़मीन बिलकुल हमवार थी ऐसे में ऐसी कारवाई की ज़रूरत थी जिससे मुआविया की (ज़ाहिरी) फतह ''तहज़ीबे मुआविया'' के ख़ातमे की सूरत में अबदी और दाएमी शिकस्त की आग़ोश में मौत की नींद सो जाए।

इमाम हसन[अ०] ने महसूस किया कि मुआविया को फ़ौजी पैमाने पर शिकस्त देना काफ़ी नहीं है और न ही ये सियासी हालात के एतेबार से आसान। इसलिए जो तरीक़ा तवील मुद्दत में दाएमी तौर पर असरअन्दाज़ हो सकता है, वह मुआविया की असलियत को बेनक़ाब करता है। इसलिए इमाम हसन[अ०] इस नतीजे पर पहुँचे कि मुआविया की असलियत को बेनक़ाब करने की बेहतरीन सूरत ये है कि इक़्तेदार उसके हवाले कर दिया जाए ताकि उसकी असली शक्ल ज़ाहिर हो जाए, मुआविया यज़ीद की शक्ल इख़्तियार करे और 'नक़ाबपोश निफ़ाक़', 'बेनक़ाब कुफ़्र' की सूरत इख़्तियार कर ले, उसका नक़ली लबादा तार-तार हो जाए ताकि उम्मत और तारीख़ के लिए फ़ैसला आसान और हक़ और बातिल में फ़र्क़ हो जाए।

इमाम हसन[अ०] ने बज़ाहिर मुआविया को फ़तहमन्द हो जाने दिया ताकि तहज़ीबे मुआविया का तिलस्म अपने आप टूट जाए। जिस तरह एक माहिर तबीब या डाक्टर

जर्राही (सर्जरी) से पहले मरज़ के ग़ुदूद को काफी हद तक बढ़ जाने की मोहलत देता है और फिर उसके बाद एक ही अमल जर्राही के ज़रिये मरज़ को ख़त्म कर देता है। बिल्कुल उसी तरह इमाम हसन[अ०] ने अपनी सुलह के ज़रिये मुलूकियत की सरतानी ग़ुदूद को अपनी इन्तेहा तक पहुँच जाने की मोहलत दे दी ताकि वारिसे हसन[अ०] सैय्यिदुश्शोहदा हज़रत इमाम हुसैन[अ०] अपने एक ही अमल जर्राही से उसे जड़ से उखाड़ फेंकें।

ऊपर लिखे गये अहम नुकात का ग़ायराना जायज़ा हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि इमाम हसन[अ०] की सुलह की वजहें क्या थीं?

इमाम हसन[अ०] ने तर्के इक़्तेदार के ज़रिये किस तरह इस्लाम की हिफ़ाज़त की?

जैसा कि हमने पहले भी इस बात की तरफ़ इशारा किया है कि इक़्तेदार मुआविया का हतमी मक़सद था और इस्लाम मक़सद बरआवरी का वसीला। इसके बरअक्स इमाम हसन[अ०] के लिए ''इस्लाम'', ''मक़सद'' था और इक़्तेदार उसका एक मुमकिना वसीला, इसलिए जब आपने ये देखा कि इक़्तेदार में रहने से नहीं बल्कि इक़्तेदार छोड़ देने से इस्लाम की हिफ़ाज़त हो सकती है तो आप इक़्तेदार से दस्तबरदार हो गये।

इक़्तेदार छोड़ने से इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ क्योंकर होता है? सबसे पहले इस नुकते की वजह से जिसका इशारा हम पहले ही कर चुके हैं कि यही एक ऐसा तरीक़ा था जिसके ज़रिये मुआविया की असलियत से नक़ाबकुशाई की जा सकती थी और ''तहज़ीबे मुआविया'' के तिलस्म को तोड़ा जा सकता था, इसकी वक़्ती फ़तह एक अबदी शिकस्त में तबदील हो सकती थी और उसकी तहज़ीब इतिहास का काला पन्ना हो सकती थी।

दूसरे ये कि अगर इमाम हसन[अ०] भी उसी अन्दाज़ में मुआविया के मुक़ाबिल आते तो मुमकिन था कि अवाम ''हक़'' और ''बातिल'' की असल जंग को समझने से क़ासिर रह जाती और मुमकिन था कि तारीख़ इस जंग को सिर्फ़ एक ''हुसूले इक़्तेदार'' की जंग का नाम दे देती।

इमाम हसन[अ०] इस जंग को ''हुकूमती जंग'' के बजाए ''अवामी जंग'' की शक्ल देना चाहते थे, इक़्तेदार से इक़्तेदार का मुक़ाबला करने के बजाए वह ''हक़ीक़त'' के ज़रिए ''इक़्तेदार'' की सरकोबी करना चाहते थे। उनकी इसी जंगी हिकमते अमली (Stratigy) का तकमला कर्बला है। इमाम हसन[अ०] ने जिस जंग का आग़ाज़ किया था इमाम हुसैन[अ०] ने उसे अन्जाम को पहुँचाया। इमाम हुसैन[अ०] ने कर्बला में इक़्तेदार को अपने लहू से टुकड़े-टुकड़े कर दिया और इस तरह झुकाया कि तारीख़ के किसी दौर में उसका सर ऊँचा नहीं हो सकता। यूँ तो मारक-ए-कर्बला के अज़ीम मुजाहिद (हीरो) इमाम हुसैन[अ०] थे मगर जंगी हिकमते अमली का आग़ाज़ इमाम हसन[अ०] ही ने किया था।

''ज़ुल्म'' के बदले ''मज़लूमियत'' और ''तलवार'' के मुक़ाबले में ''ख़ून की धार''

इमाम हसन[अ०] ने ज़ुल्म का मुक़ाबला मज़लूमियत के असलहे और शमशीर का मुक़ाबला ख़ून से करने की बुनियाद रखी और इमाम हुसैन[अ०] ने उसे नतीजे की आख़िरी मन्ज़िल तक पहुँचाया। ये सोचना दुरुस्त है कि इमाम हसन[अ०] ने सुलह की थी और इमाम हुसैन[अ०] ने जंग। मगर इमाम हसन[अ०] ने अपनी सुलह के ज़रिये ऐसे राहे अमल का तअय्युन कर दिया था जिसका मन्तिक़ी और लाज़मी नतीजा था जंग, शहादत और फ़त्हे हुसैन[अ०]। इमाम हुसैन[अ०] का अमल इमाम हसन[अ०] की पालीसी का सिलसिला है। ये इमाम हसन[अ०] ही थे जिन्होंने ''ज़ुल्म'' के मुक़ाबले में ''मज़लूमियत'', शमशीर के मुक़ाबले में ''ख़ून'', इक़्तेदार के मुक़ाबले में हक़ीक़त और हुकूमत के मुक़ाबले में अवामी जंग का आग़ाज़ किया और इमाम हुसैन[अ०] ने उसी तैय शुदा अमल को मेराज तक पहुँचाया।

इमाम हसन[अ०] और इमाम हुसैन[अ०] की इस हिकमते अमली से एक कसीफ़ हाकिम की हुकूमत रुसवा हुई। इससे भी अहम ये कि इस्लाम और नाम नेहाद मुसलमानों की हुकूमत की कारस्तानियों के दरमियान एक बीच की दीवार क़ायम हो गयी यही हमारे पेश्वायाने दीन की जंग की सबसे बड़ी फ़तह और कामयाबी है। ये काम भी किसी तरह फ़ौजी इक़्तेदार के ज़रिये नहीं हो सकता था और उस ज़माने के सियासी हालात भी इसके लिये साज़गार न थे।

इमाम हसन[अ०] ने देखा कि फ़ौजी और सियासी कुव्वत के एतेबार से हालात पूरे तौर पर मुआविया के हामी हैं और अगर ग़ैर मुतवाज़न मुसल्लह मुक़ाबले में वह और उनके साथी शहीद भी हो जाएं तो इसकी शहादत से कोई इफ़ादी पहलू बरआमद नहीं होता क्योंकि अब तक निफ़ाक़ के चेहरे पर पड़ी हुई नक़ाब हटी नहीं है लेहाज़ा मुमकिन है कि आइन्दा की नसलें और तारीख़ इस जंग को हाकिमे शाम और हाकिमे इराक़ के दरमियान दौलत व इक़्तेदार की एक आम जंग से ताबीर करके रह जाएं। इसी वजह से इमाम हसन[अ०] ने अपनी सुलह के ज़रिये एक तरफ़ तो इस जंग को दो हाकिमों की जंग के बजाए ''अवाम'' और ''हुकूमत'' की जंग की शक्ल दे दी, दूसरी तरफ़ अपनी बची हुई कुव्वत को महफ़ूज़ रखा ताकि इज़्हारे हक़ीक़त हो सके और जंग की सूरत तबदील होकर ''इक़्तेदार'' के मुक़ाबले में ''इक़्तेदार'' के बजाए ''हुकूमत'' के मुक़ाबले में अवामी जंग की सूरत इख़्तियार कर ले और एक वक़्त ऐसा आए जब उमवियों के मकरूह चेहरे पर पड़ी हुई इस्लाम की झूठी नक़ाब तार-तार हो जाए और उनकी असली सूरतें बेनक़ाब हो जाएं और वही सही वक़्त होगा जब शहादतें कारसाज़ होंगी। इमाम हुसैन[अ०] अपनी बची हुई थोड़ी कुव्वत के साथ हुकूमत से टकराए। अब कोई ये नहीं कह सकता कि दो हाकिमों की जंग थी क्योंकि ''निफ़ाक़'' के मकरूह चेहरे से नक़ाब हट चुकी थी, हक़ीक़त ज़ाहिर हो चुकी थी और ज़ुल्म रुसवा हो चुका था।

इसी तरह लेबनान के आलिम व मुजाहिदे आज़म अल्लामा शरफ़ुद्दीन ने लिखा हैः अक़्लमन्द की नज़र में रोज़े साबात (यौमे सुलहे इमाम हसन[अ०]) की फ़िदाकारी के वाक़िआत रोज़े आशूरा से ज़्यादा मुस्तहकम हैं। यौमे आशूरा की शहादत पहले तो हसनी शहादत है, बाद में हुसैनी है क्यों कि ये इमाम हसन[अ०] ही थे जिन्होंने तहरीके आशूरा के वजूद में आने के लिए राह हमवार की और इस तहरीक के नताएज को ज़माने के आगे पेश करने के क़ाबिल बनाया।

इमाम हसन[अ०] और इमाम हुसैन[अ०] का अमल बताता है कि हक़ और बातिल की तवील मुद्दती जंग का मक़सद एक ही है। अलबत्ता ज़मानो मकान के तक़ाज़े से हिकमते अमली और तरीक़-ए-जंग में फ़र्क़ हुआ है क्योंकि हर जंग का तरीक़ा और नक़शा अपनी और दुश्मन की ताक़त का अन्दाज़ा करने के बाद मुरत्तब किया जाता है। इसलिए कभी मुसल्लह मुक़ाबला कारगर होता है और कभी असलहों के मुक़ाबले पर मज़लूमियत और शमशीर के मुक़ाबले पर ख़ून से मुक़ाबला किया जाता है। ✦✦✦

अज़ीम मजालिस

इन्शाअल्लाह इस साल सफ़वतुल उलमा मौलाना सै० कल्बे आबिद[ताबासराह] के ईसाले सवाब के सिलसिले की सालाना मजलिसें 3-4 अकटूबर 2009[ई०] (बरोज़ सनीचर-इतवार) को इमामबाड़ा ग़ुफ़रानमआब में होंगी। मोमिनीन से शिरकत की गुज़ारिश है।

किस क़ानून के मुहाफ़िज़ को कैसा होना चाहिए

हुज्जतुल इस्लाम वलमुस्लिमीन मौलाना सै० हसन नक़्वी साहब क़िब्ला
अनुवादकः सैय्यद सुफ़यान अहमद नदवी

क़ानून उसी वक़्त तक सही क़ायम रह सकता है जब कि क़ानून का ज़िम्मेदार क़ानून को नाफ़िज़ करने में ग़लती न करे। अगर क़ानून ठीक है लेकिन जिसने ये क़ानून बनाया है वह इस क़ानून पर अमल करने में और दूसरों से अमल कराने में ग़लती करे तो क़ानून के मक़सद पर असर पड़ेगा। किसी भी सिस्टम के तैयार करने वाले का मक़सद अपनी चाहत के हिसाब से अमल कराना होता है और जिन लोगों को वह ज़िम्मेदार बनाता है पहले उनकी सलाहियत की जाँच-पड़ताल कर लेता है, किरदार की मज़बूती का बहुत अच्छी तरह से जायज़ा ले लेता है। ताकि ग़लतियाँ सिस्टम के मक़सद को ख़राब न कर सकें जहाँ ज़रा भी वह ज़िम्मेदार क़ानून की ज़िन्दगी में कोई हलका सा भी दाग़ देखता है वहाँ अपने क़ानून को उसके हाथ से निकाल लेता है क्योंकि कानून लगाने वाले की ग़लतियों से ऐसे-ऐसे बड़े नुक़सान हो जाते हैं जिनकी भरपाई मुमकिन नहीं होती।

क़ानून के ज़िम्मेदार की ग़लती से पूरा निज़ाम ग़लत समझा जाने लगता है अगर क़ानून लगाने वाले ने ग़लती की और अपनी उस ग़लती को अमली तौर से सबके सामने पेश कर दिया, उसकी बातों को क़ानून की ज़बान और उसके कामों को क़ानून बनाने वाले की चाहत और उसके किरदार को क़ानून के हिसाब से ही समझा जाता है इसलिए जानते हुए भी उसकी ग़लती उसी तरह क़ानून का हिस्सा समझी जायेगी जिस तरह उसके अच्छे कामों की अच्छाई अच्छे क़ानून का सुबूत समझी जाती है इसलिए उसकी ग़लती क़ानून की ग़लती बन जायेगी इसके बाद फिर दो बड़े नुक़सान और भी होंगे एक तो ये कि अगर किसी क़ानून के सही होने की जानकारी हो गई और क़ानून लगाने वाले की ग़लती का एहसास हो गया तो क़ानून बनाने वाले की नज़र से एतेबार उठ जायेगा। क्योंकि जब उसने अपने क़ानून का ऐसे शख़्स को ज़िम्मेदार बनाया जो ग़लतियाँ करता है तो या तो ख़ुद क़ानून बनाने वाले की ही चाहत थी कि क़ानून की वह सही हालत बाक़ी न रहे? तो ये नामुमकिन है। हर क़ानून बनाने वाले की चाहत फ़ितरत के हिसाब से यही होती है कि उसके क़ानून पर बिल्कुल सही-सही अमल हो इसलिए ऐसे शख़्स को जो ग़लतियाँ करता है क़ानून का ज़िम्मेदार बनाना कैसे ठीक है? ये तो क़ानून बनाने वाले की नज़र की बड़ी ग़लती होगी दूसरे ये कि अगर क़ानून का ज़िम्मेदार ग़लती करेगा तो क़ानून का मक़सद पानी में बह जायेगा इसलिए कि क़ानून बनाने का मक़सद ये था कि उस क़ानून पर अमल करने से ग़लतियों से बचाव हो, काम सही और बराबरी वाले हों लेकिन जब क़ानून लागू करने वाला ख़ुद ग़लती करेगा तो ज़ाहिर है कि हर क़ानून के ज़िम्मेदार उस ग़लती को सही समझने पर मजबूर होंगे जिसके बाद उस ग़लती पर अमल करना भी यक़ीनी है तो क़ानून का वह मक़सद कि काम सही हों, ख़त्म होकर बजाए सही होने के उसका नतीज ये होगा कि क़ानून के मक़सद में ग़लती होगी। और ये क़ानून और क़ानून बनाने वाले की चाहत

हरगिज़ नहीं है इसलिए मालूम हुआ कि क़ानून लागू करने वाले और उसके ज़िम्मेदार के किरदार को बेदाग़ होना चाहिए जिस तरह असल क़ानून में ग़लती मक़सद तक पहुँचने से रोकने वाली होती है, उसी तरह क़ानून बनाने वाले और क़ानून के ज़िम्मेदार की ग़लती भी रास्ते का पत्थर बन जाती है जिस तरह क़ानून बनाने वाले की ज़रा सी भी ग़लती पूरी इन्सानियत के सिस्टम को उलट-पलट कर बर्बादी में फंसा सकती है, इसी तरह क़ानून के ज़िम्मेदार की ग़लती भी पूरे इन्सानियत के ढाँचे को बिखेर कर फ़ना के घाट उतार सकती है।

और यही वजहें हैं जो घरों में बिगाड़, शहरों में वीरानी, मुल्क में आपसी जंगें होती हैं जहाँ कभी फ़ितरत के बताये हुए ज़िन्दगी के उसूल, तहज़ीब के उसूल और क़ानून शहरों के क़ानून में ग़लती हुई, वहाँ इन्सानों का आपस में भिड़ना ज़रूरी होता है। ख़ालिक़े फ़ितरत ने कुछ समाजी उसूल इन्सान की ज़िन्दगी से जोड़ रखे हैं जिन पर अमल करने का अकेला ज़िम्मेदार ख़ुद इन्सान है जहाँ उन उसूलों पर अमल करने में कोई एक क़दम भी नाबराबरी का उठा वहाँ हंगामा खड़ा हो गया।

अगर समाजी इतिहास पर नज़र की जाए तो इतने इख़्तेलाफ़ मिलेंगे जो लिखे नहीं जा सकते। एक वक़्त वह था जब इन्सान इज्तेमाई ज़िन्दगी से बिल्कुल ही अनजान था ये इन्सान की तहज़ीब के बचपन का ज़माना था इसके बाद ही इन्सान को अपनी ज़रूरतों की बुनियाद पर एक साथ काम करने पर मजबूर होना पड़ा जिसके बाद इज्तेमाई ज़िन्दगी की बुनियाद पड़ी यहीं से अपने बनाये हुए गिरोही क़ानून बनने लगे। एक-एक गिरोह, एक-एक क़बीले के नाम से याद किया जाने लगा और हर गिरोह का एक सरदार क़बीले के नाम से पहचाना जाने लगा ये इज्तेमाई ज़िन्दगी की शुरुआत थी जो भी सरदार बनाया गया उसके हाथ में क़बीले के सभी अन्दुरूनी और बाहरी मामले दे दिये गये लेकिन जो सरदार बना वह अपने को कोई बड़ी ऊँची शख़्सियत समझने लगा जिसके बाद वह क़ानून जो क़बीले के सरदार के हवाले थे उनमें जायज़ और नाजाएज़ इस्तेमाल होने लगे, दरबार के क़रीबी लोंगों और मानने वालों को ख़ास आसानियाँ मिलने लगीं जिससे उस शख़्सी हुकूमत की सूरत में कुछ बदलाव पैदा होने लगे जिसने आगे बढ़कर शहंशाहियत की सूरत इख़्तियार कर ली, लेकिन बाद में उसमें भी वही ग़लतियाँ पैदा होने लगीं।

अब से चौदह सौ साल पहले इन्सान ने अपने क़रीब एक बहुत ही बेहतरीन उसूल ईजाद किया और वह है जमहूरियत। जमहूरियत भी शख़्सियत ही की तरह थी एक बार चुने जाने के बाद सारी ज़िन्दगी हुकूमत का हक़दार बना देना। लेकिन जल्दी ही इसमें भी वही क़ानून के ज़िम्मेदार की ख़ास नज़र आने वाली ग़लतियाँ थीं जिन्होंने जीतने की हवस की शक्ल इख़्तियार की जिसके बाद लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गयीं कि मुल्क के फ़िक्र करने वालों को इस जमहूरियत की शक्ल बदल देनी पड़ी। यहाँ तक कि धीरे-धीरे जमहूरियत फिर मिट गयी। और वही पुरानी शख़्सी हुकूमतों का दौर दौरा हो गया एक लम्बे ज़माने तक तलवार के ज़ोर पर ये हुकूमतें चलती रहीं तरक़्क़ी भी गिरावट भी हुई अमन भी रहा जंग भी हुई, यहाँ तक कि फिर उसी पुराने ख़याल ने सर उठाया और जमहूरी निज़ाम चल निकला और आज न जाने कौन-कौन से सैकड़ों उसूल बनाये जाते हैं लेकिन नाकाम होकर टूट जाते हैं और फिर दूसरे उसूल पैदा होते हैं।

कुछ तो उन्हीं उसूलों की ग़लतियाँ है लेकिन ज़ियादा क़ानून और उसके ज़िम्मेदार लोगों की ग़लतियाँ हैं इस जमहूरी ज़माने में कुछ क़ानून बहुत ही अच्छे और कामयाब हो जाते हैं लेकिन फिर वही क़ानून बेकार और नाकाम बन जाते हैं इसमें क़ानून की ख़राबी के साथ-साथ क़ानून की हिफ़ाज़त करने वालों का भी हाथ होता है जब जमहूर ने हमको क़ानून का ज़िम्मेदार बना दिया तो अब

हम क़ानून को अपनी बपौती समझने लगते हैं जिसके बाद ऐसे-ऐसे बचकाना क़दम उठाते हैं कि आख़िर में वह क़ानून ही मुर्दा समझा जाने लगता है। असल राज़ ये है कि हम, क़ानून की हिफ़ाज़त करने वाला ऐसे को बना देते हैं जो माद्दियात में घिरा हुआ है दिमाग़ में शहंशाहियत बसी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद फ़ायदा उठाने का भूत सवार है। अपने क़रीबी ख़ानदान वाले, मिलने वाले, शहर वाले, अफ़राद के लिए क़ानून में सहूलतें बरती जाती हैं जब दूसरे लोग देखते हैं कि हक़दार होने के बाद भी हम महरूम हैं तो वह किसी ऐसे को चुनते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके।

इसलिए मुल्क में लड़ाइयाँ होने लगती हैं क़त्ल, ख़ून और फ़साद की वारदातें होती हैं ये सिर्फ़ क़ानून की हिफ़ाज़त करने वाले की ग़लती के ख़तरनाक नतीजे होते हैं लेकिन अगर यही क़ानून की हिफ़ाज़त करने वाला अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से महसूस करे, दिली चाहतों और बेजान ख़यालों से हटकर एक सही हिफ़ाज़त करने वाला साबित हो, तो उसकी हर बात और काम में ऐसा वज़न पैदा हो जाए जिसके बाद फिर किसी इख़्तेलाफ़ की जगह ही न पैदा हो और इसके बाद भी जो मुख़ालेफ़त करेंगे वह जुर्म करने वाले गिरोह, या जानवरों की किसी भीड़ में गिने जायेंगे।

इसलिए मालूम हुआ कि क़ानून की हिफ़ाज़त करने वाले को अपनी पूरी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए क़ानून को लागू करने के मामले में सभी ज़ाती ताल्लुक़ात को छोड़ देना चाहिए जब हिफ़ाज़त करने वाला ऐसा होगा तब क़ानून बनाने वाले की चाहत के हिसाब से अमल हो सकेगा।



बक़िया...... रोज़े के फ़ायदे

गुज़रते वक़्त नहीं लड़खड़ायेंगे और वह आसानी से उस पर से गुज़र जायेगा हक़ीक़त ये है कि साल भर में ये एक महीना ऐसा है जिसमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने का मौक़ा मिलता है और मुसलमान को उसके ज़ाती और जमाअती, घरेलू और शहरी ज़िन्दगी के फ़र्ज़ पूरे करने और उनका एहसास करने की बड़ी तरबियत हासिल होती है। रोज़े का असली मक़सद इन्सान के जिस्म और रूह का सुधार है। इस सुधार के लिए हमें इस पाक महीने में दो बड़े रास्ते दिखाये गये हैं। एक क़ुरआन पाक और दूसरे रोज़ा। रोज़ा हमारी रूह को जगाता और हमारे सोये हुए एहसास को ज़िन्दगी देता है और हमें इस क़ाबिल बनाता है कि हम क़ुरआन पाक की हिदायत की नेमत को हासिल कर सकें, उसके नूर से अपनी रूह और दिल और दिमाग़ के अन्धेरों को दूर करें और हम में उस भाइचारगी और हमदर्दी का शौक़ पैदा हो जाए जो इस्लामी ज़िन्दगी का एक बड़ा निशान है। रोज़ा जिस तरह ग़रीबों पर फ़र्ज़ है उसी तरह अमीरों पर भी फ़र्ज़ है। जिस तरह आम लोगों पर उसी तरह हुक्मरानों पर उसका रखना ज़रूरी है सिवाए उन लोगों के जो शरीअत में अलग रखे गये हैं। रोज़ा रखने से इन्सान में जो सब्र और बर्दाश्त करने की ताक़त पैदा होती है वह ज़िन्दगी के हर रास्ते में काम आती है और अच्छे-अच्छे खानों से पेट भर कर हम जिस आपसी हमदर्दी के जज़्बे और दूसरों की भूख के एहसास से अनजान रहते हैं ख़ुद हमारी भूख की सख़्ती उस जज़्बे को सामने लाती है और रोज़ा बराबर एक महीने तक हमारे इसी जज़्बे को बढ़ाता रहता है। हम मस्जिदों में जाते हैं। जमाअत की नमाज़ों में शरीक होते हैं, आपस में मिलजुल कर और साथ बैठकर रोज़ा इफ़्तार करते हैं, एक दूसरे के हालात की ख़बर लेने का मौक़ा मिलता है, जिसके बाद दिल में फ़ितरी तौर पर ख़िदमत और अच्छा सुलूक करने की चाहत पैदा हो जाती है।

ये कितनी बड़ी सीख है मुसीबतों पर सब्र करने की और प्यास को बर्दाश्त करने की! और आपस में एक दूसरे के दुख दर्द का एहसास करने की! अमन और आराम से रहने वाले शहरी हों या जंग के मैदान के भूखे सिपाही हों हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान की भूख और तकलीफ़ का एहसास हो जाता है और उसमें क़ुर्बानी और हमदर्दी की वह उमंग पैदा हो जाती है जो किसी दूसरे रास्ते से मुमकिन नहीं हो सकती।



मुख्य समाचार

हज़रत मुहम्मद[स०] की ख़याली तस्वीर और ईरान के ख़िलाफ़ ग़लत प्रोपगन्डे के ख़िलाफ़
एहतेजाजी जल्सा

बीएड के निसाब की एक किताब में हज़रत मुहम्मदस० की ख़याली तस्वीर और उनके बारे में दूसरे वाक़िआत तोड़मरोड़कर पेश करने का मामला सामने आने के बाद मुसलमानों के सभी फ़िरक़ों में ग़म व गुस्से की लहर दौड़ गयी साथ ही ईरान के पार्लिमानी इन्तेख़ाबात और वहाँ के क़ानूनों की बारे में बेबुनियाद और ग़लत प्रोपेगण्डे के ज़रिये अवाम को ईरान से बद्दिल किया जा रहा है। इन ख़राब हालात के ख़िलाफ़ 'नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन' में क़ाएदे मिल्लत की अध्यक्षता में 27 जुलाई 2009[ई०] को एक एहतेजाजी जल्सा हुआ जिसमें मुक़र्रिरीन ने ख़ासकर क़ाएदे मिल्लत ने अपने शदीद ग़म व गुस्से का इज़हार किया और कहा कि इस ख़राब सूरते हाल की असल वजह यहूदी साज़िशें हैं हमें हर वक़्त होशियार रहने की सख़्त ज़रूरत है।

हज़रत गुफ़रानमआब के देसे की मजलिस

19 रजब 1430[हि०] को इमामबाड़ा हज़रत गुफ़रानमआब में खुद हज़रत गुफ़रानमआब की मजलिसे तरहीम हुई। मजसिल को मशहूर मुबल्लिग़ मौलाना तक़ी रज़ा साहब क़िब्ला ने ख़िताब फ़रमाया उन्होंने मजलिस में हज़रत गुफ़रानमआब की हिन्दुस्तान में शियों की पहली मरजेईयत, उनकी पहली बार हिन्दुस्तान में इमामिया नमाज़े जुमा व जमाअत का क़ायम करना और हिन्द में पहला मदरस-ए-इज्तेहाद क़ायम करने का ज़िक्र करते हुए कहा अब अगर उनकी औलाद नमाज़े जुमा न पढ़ायेगी तो क्या हम पढ़ायेंगे? मजलिस का इख़्तेताम मसाएबे सैय्यिदुश्शोहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम पर हुआ इसके बाद वक़्फ़ गुफ़रानमआब की तरफ से मोमिनीन के लिए खाने का इन्तिज़ाम इमामे मज़लूम की नज़र की सूरत में किया गया।

इराक़ में आत्मघाती हमले और बारूदी सुंरग धमाके
12 लोग हलाक, दर्जनों घायल

इराक़ में आत्मघाती बम हमले और बारूदी सुरंग के धमाके में 12 लोग हलाक और दर्जनों घायल हो गये। राजधानी बग़दाद के उत्तर में बम धमाके में 18 लोग घायल हो गये। बग़दाद से मिनी बस ज़ियारत करने वालों को लेकर नजफ जा रही थी कि उत्तरी बग़दाद में बारूदी सुरंग से टकरा गयी। ये वाक़िआ ज़िला ख़ादमिया के क़रीब पेश आया। इसी दौरान बग़दाद के मरकज़ी ज़िले मामून में एक और बम धमाके में छः ज़ियारत करने वाले घायल हो गये। पुलिस की तरफ़ से तफ़सील जारी नहीं हुई। इसी दरमियान इराक़ी सूबे अम्बार के मादरी शहर में पुलिस चेक पोस्ट के क़रीब आत्मघाती कार बम धमाके में छः लोग हलाक और 19 घायल हो गये। हलाक होने वालों में दो पुलिस वाले भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक़ आत्मघाती हम्लावर कार समेत पुलिस चेक पोस्ट पर खड़ी गाड़ियों की लाइन में खड़ा था कि ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया जिसके बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गये। बग़दाद के ज़िला अस्सद्र में प्लास्टिक बैग में छुपाकर रखा गया बम फटने से एक शिया रहनुमा के जनाज़े में शिरकत के लिए आए हुए पाँच लोग हलाक और 23 घायल हो गये जबकि बग़दाद के ज़िले करादा में एक बम धमाके में 9 शहरी घायल हो गये।

हम आलमी घमण्ड को ख़ाक में मिला देंगे: ईरानी राष्ट्रपति

हाल ही में दोबार चुने हुए राष्ट्रपति डा० महमूद अहमदी नेजाद ने ये कहकर कि उनकी नयी हुकूमत आलमी घमण्ड को ख़ाक में मिला देगी, मग़रिबी मुल्कों के बारे में ईरान के रवैय्ये में और सख़्ती लाने की तरफ इशारा किया है। 12 जून को इख़्तेलाफ़ी इलेक्शन के बाद अपने पहले सूबाई दौरे में कल डाक्टर अहमदी नेजाद ने इन्तेख़ाबी नतीजों के सरकारी एलान के ख़िलाफ़ विपक्ष के अवामी एहतेजाज के हवाले से कहा कि ईरान के दुश्मनों ने दख़लअन्दाज़ी से काम लेकर मुल्क में जारहियत को हवा देने और मुहाज़े जंग का दायरा मुल्क के अन्दर बढ़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि बहरहाल 'मैंने दुश्मनों से कह दिया था कि ये क़ौम सामने से ऐसा सख़्त वार करेगी कि तुम (लोग) घर का रास्ता भूल जाओगे।' सख़्तगीर ईरानी राष्ट्रपति ने जो अक्सर मग़रिब को निशाना बनाते रहते हैं कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान बातीचीत पसन्द और मुज़ाकरात का मानने वाला है लेकिन मग़रिबी ताक़तों ने ईरानी क़ौम की तौहीन की है जिसके लिए उन्हें माफ़ी माँगना चाहिए। ईरानी रहनुमा वैसे भी अक्सर अमरीका और उसके इत्तेहादियों का ज़िक्र ''आलमी घमण्ड'' ही के हवाले से करते हैं। उत्तर पूर्वी ईरानी शहर मशहद में एक बड़े इज्तेमाअ् को सम्बोधित करते हुए अहमदी नेजाद ने कहा कि पहले से दस गुनी ताक़त और इख़्तियार के साथ उनकी नई हुकूमत काम शुरु करते ही आलमी मन्ज़रनामे पर उभरेगी और आलमी ग़ुरूर ख़ाक में मिला देगा। सरकारी नशरियाती और इदारा IRBI के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि 'वह (मग़रिब वाले) इन्तिज़ार करें, ईरानी क़ौम की नई इन्क़ेलाबी सोच उभर रही है और हम घमण्डी (ताक़तों) को एक रात भी चैन की नींद सोने नहीं देंगे' ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि बड़ी ताक़तें ईरान को अपने हुक़ूक़ से ज़र्रा बराबर महरूम नहीं कर पायेंगी।

हम तल-अबीब को तबाह कर देंगे: सै0 हसन नसरुल्लाह

हिज़्बुल्लाह के रहनुमा सै० हसन नस्रुल्लाह ने ख़बरदार किया है कि अगर इस्राईल ने बैरूत के दक्षिण के आसपास के इलाक़े में बम्बारी की तो जवाब में तल-अबीब पर हमला किया जायेगा। हिज़्बुल्लाह और इस्राईली फ़ौजियों के दरमियान तीन साल पहले उस वक़्त 34 दिन तक लड़ाई चली थी जब लेबनान की शिया फ़ौजी तन्ज़ीम ने सरहद पार हमला करके दो इस्राईली फ़ौजियों को पकड़ लिया था। इस लड़ाई में लेबनान में तक़रीबन 1200 शहरी और 160 ईस्राईली हलाक हुए थे जिनमें ज़्यादातर फ़ौजी थे। इस्राईल ने बैरूत के दक्षिण के आसपास के इलाक़े और दक्षिणी लेबनान में ज़बरदस्त बम्बारी की थी जो हिज़्बुल्लाह के गढ़ समझे जाते हैं इन इलाक़ों में इस्राईल ने 2000ई० में अपनी फ़ौजें हटायी थीं। इस्राईल की बम्बारी में पुलों, सड़कों, एयपोर्ट के रनवे, साहिलों, फैक्ट्रियों, आबज़ारों और फ़ौजी छावनियों और मशरिक़ी बुक़ावादी को निशाना बनाया गया था। हिज़्बुल्लाह की तरफ़ से तक़रीबन रोज़ाना किये जाने वाले राकेट हमलों में इस्राईली शहरों में तक़रीबन दो हज़ार मकान और पार्लियामेण्ट तबाह हो गये थे। मगर तल-अबीब इन राकेट हमलों से महफ़ूज़ रहा था।

रोज़नामा अल-अकबार के मुताबिक़ नस्रुल्लाह ने लेबनानी मुहाजिरीन के एक ग्रुप से कहा कि बैरूत बमुक़ाबला तल-अबीब का पिछला मसावी अब बदल चुका है अब मामला दक्षिणी इलाक़े और तल-अबीब का है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये गीदड़भपकी नहीं है आइन्दा किसी भी जंग में इस्राईली फ़ौज को तबाह कर दिया जायेगा। हिज़्बुल्लाह और इस्राईल के बीच तीन साल पहले जंग ख़त्म होने के बाद से कोई टकराव नहीं हुआ है मगर इस महीने के शुरु में दक्षिणी लेबनान में हथियारों के एक गोदाम में धमाका होने के बाद कशीदगी पैदा हो गयी है। संयुक्त राष्ट्र ने जिसके फ़ौजी दक्षिणी लेबनान में मौजूद हैं कहा कि ऐसे इशारे मिले हैं कि ये गोदाम हिज़्बुल्लाह का है और इन हथियारों की मौजूदगी संयुक्त राष्ट्र की क़रारदाद की ख़िलाफ़वर्ज़ी है।

Permanent Namaz Timing As Per Lucknow Horizon

Month September 2009

सितम्बर	रमज़ान	दिन	फ़ज्र	तुलूअ	ज़ोहर	गुरुब	मग़रिब	लखनऊ से पहले		लखनऊ के बाद	
1	9	मंगल	4:27	5:45	12:7	6:27	6:37	इलाहाबाद	5	अहमदाबाद	32
2	10	बुध	4:27	5:45	12:7	6:26	6:36	आज़मगढ़	9	आगरा	12
3	11	जुमेरात	4:28	5:46	12:6	6:25	6:35	अयोध्या	5	इन्दौर	21
4	12	जुमा	4:29	5:46	12:6	6:24	6:34	बाराबंकी	2	उन्नाव	2
5	13	सनीचर	4:29	5:47	12:5	6:23	6:33	बस्ती	8	बदायूं	8
6	14	इतवार	4:30	5:47	12:5	6:22	6:32	बनारस	8	बरेली	6
7	15	पीर	4:30	5:48	12:5	6:21	6:31	बलिया	12	मुम्बई	23
8	16	मंगल	4:31	5:48	12:5	6:20	6:30	बहराइच	4	बैंगलोर	17
9	17	बुध	4:31	5:48	12:5	6:19	6:29	बांदा	6	भोपाल	14
10	18	जुमेरात	4:32	5:49	12:4	6:17	6:27	जबलपुर	6	पीलीभीत	5
11	[redacted]	जुमा	4:33	5:49	12:4	6:16	6:26	पटना	18	झांसी	10
12	20	सनीचर	4:34	5:50	12:4	6:15	6:25	प्रतापगढ़	5	हैदराबाद	10
13	[redacted]	इतवार	4:34	5:50	12:3	6:14	6:24	पूर्णिया	27	दिल्ली	15
14	22	पीर	4:35	5:50	12:3	6:13	6:23	जौनपुर	8	देहरादून	12
15	23	मंगल	4:35	5:51	12:2	6:12	6:22	दरभंगा	20	रामपुर	8
16	24	बुध	4:36	5:51	12:2	6:11	6:21	रांची	18	श्रीनगर	21
17	25	जुमेरात	4:36	5:52	12:2	6:10	6:20	गया	16	सहारनपुर	14
18	26	जुमा	4:37	5:52	12:1	6:09	6:19	रायबरेली	4	सीतापुर	4
19	27	सनीचर	4:37	5:52	12:1	6:08	6:18	सीवान	14	शाहजहांपुर	4
20	28	इतवार	4:38	5:53	12:00	6:06	6:16	24 परगना	30	अलीगढ़	12
21	29	पीर	4:38	5:53	12:00	6:05	6:15	ग़ाज़ीपुर	11	फ़तेहपुर	3
22	30	मंगल	4:39	5:53	12:00	6:04	6:14	फ़ैज़ाबाद	5	कानपुर	3
23	[illegible]	बुध	4:39	5:53	12:00	6:03	6:13	कोलकाता	31	ग्वालियर	12
24	2	जुमेरात	4:40	5:54	12:00	6:02	6:12	[illegible]	1	[illegible]	3
25	3	जुमा	4:40	5:55	11:59	6:01	6:11	गोण्डा	4	मुरादाबाद	9
26	4	सनीचर	4:41	5:55	11:59	6:00	6:10	गोरखपुर	10	मेरठ	13
27	5	इतवार	4:41	5:56	11:58	5:59	6:09	मऊ	11	मुज़फ़्फ़रनगर	12
28	6	पीर	4:42	5:56	11:58	5:58	6:08	मुंगेर	12	नागपुर	16
29	7	मंगल	4:42	5:57	11:57	5:57	6:07	मिर्ज़ापुर	7	नैनीताल	6
30	8	बुध	4:42	5:57	11:57	5:56	6:06	मुज़फ़्फ़रपुर	19	हरदोई	4
								भागलपुर	19	भावनगर	36